बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

<u>कार्यालय आदेश</u>

संख्या - 5 /डी०-4-10-01/2016- 1226 /पटना, दिनांक -31-05-2016

जल संसाधन विभाग के अधीन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभाग के अन्तर्गत सिंचाई सृजन, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण तथा मुख्यालय के रुप में तीन पृथक खण्ड गठित कर इनके कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश - 5/डी०-4-10-01/2016-876 दिनांक 20.04.2016, 877 दिनांक 20.04.2016, 878 दिनांक 20.04.2016, 879 दिनांक 20.04.2016, 939 दिनांक 29.04.2016, 940 दिनांक 29.04.2016, 941 दिनांक 29.04.2016, 1057 दिनांक 10.05.2016, 1058 दिनांक 10.05.2016, 1059 दिनांक 10.05.2016 एवं अधिसूचना संख्या 1195 दिनांक 24.05.2016 निर्गत हैं, जिनके द्वारा जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कुल 332 (तीन सौ बत्तीस) कार्यालयों के नाम, मुख्यालय, नियंत्री पदाधिकारी एवं पदनामवार विवरणी निर्धारित की गयी है ।

इन कार्यालयों के पुनर्गठन के क्रम में निर्गत स्वीकृत्यादेश एवं अधिसूचना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निदेश निम्नवत् है :-

1 . मुख्यालय स्थापना के प्रभारी अवर सचिव अभियन्ता प्रमुख के सभी कार्यालयों, निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबन्धन, पटना तथा सभी मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में आवश्यकतानुसार कर्मियों के पदस्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

2 . अधिसूचना संख्या 1195 दिनांक 24.05.2016 की कण्डिका 4 के अनुपालन के उपरान्त दिनांक 01.06.2016 से प्रभावी कार्यालयों में हो रहे अतिरेक सहायक अभियन्ता, यथा यॉत्रिक सम्वर्ग के विरुद्ध कार्यरत असैनिक सहायक अभियन्ता तथा अवकाश रक्षित सहायक अभियन्ता के पद के विरुद्ध कार्यरत सहायक अभियन्ता इत्यादि विभागीय मुख्यालय, सिंचाई भवन, पटना में योगदान करेंगे ।

3 . पुनर्गठन के क्रम में अतिरेक कनीय अभियन्ताओं के एक बार पदस्थापन हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता को प्राधिकृत किया जाता है ।

4 . अधिसूचना संख्या 1195 दिनांक 24.05.2016 की कण्डिका 5 के अनुपालन के उपरान्त दिनांक 01.06.2016 से प्रभावी कार्यालयों में हो रहे अतिरेक कर्मियों (कनीय अभियन्ता सहित) नये मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के अन्तर्गत ही पदस्थापित किया जायेगा ।

5 . जिन कर्मियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि शेष हो, अथवा पति एवं पत्नी का एक जगह पदस्थापन हो अथवा महिला कर्मी अथवा कर्मचारी स्वयं गम्भीर रुप से अस्वस्थ हो, को अतिरेक कर्मी के रुप में चिन्हित नहीं किया जायेगा ।

अतिरेक हो रहे कर्मियों (कनीय अभियन्ता सहित) को संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उसी कार्यालय से संबंधित अंचल कार्यालय अथवा उसके अधीन प्रमण्डल कार्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा । संबंधित अंचल के अधीन आवश्यक स्वीकृत बल उपलब्ध न होने की स्थिति में अतिरेक कर्मियों का पदस्थापन परिक्षेत्राधीन समीप के दूसरे अंचल अथवा उसके अधीन प्रमण्डल कार्यालयों में पदस्थापित किया जायेगा । यह भी ध्यान रखा जायेगा कि संबंधित मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के सभी कार्यालयों के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक कार्यरत बल उपलब्ध हो सके ।

6 . उपरोक्त कण्डिका 5 में निहित निदेश के आलोक में पदस्थापन के उपरान्त भी कर्मियों के अतिरेक होने की स्थिति में उन्हें मुख्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा ।

7 . विभागीय अधिसूचना संख्या 1195 दिनांक 24.05.2016 के परिशिष्ट-1 के प्रत्येक क्रमांक के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कनीय अभियन्ता उसी क्रमांक के स्तम्भ 2 में अंकित कार्यालयों में कार्यरत माने जायेंगे । संविदा पर कार्यरत कनीय अभियन्ता के अतिरेक होने पर कार्य की महत्ता के अनुसार इन्हें मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्राधीन दूसरे कार्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा एकरारनामा संबंधित प्रमण्डल को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, परन्तु इस क्रम में प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक नियमित कनीय अभियन्ता का पदस्थापन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8 . मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के परिक्षेत्राधीन हो रहे अतिरेक कर्मियों (चालक को छोड़कर) का पदस्थापन मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के अधीन पटना अवस्थित कार्यालयों में स्वीकृत पदों के

विरुद्ध किया जायेगा । इस हेतु संबंधित मोनिटरिंग अंचल अतिरेक कर्मियों को मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित करेंगे । मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के परिक्षेत्राधीन हो रहे अतिरेक चालक का पदस्थापन बाढ़ प्रबन्धन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के अधीन किया जायेगा । इस हेतु संबंधित अंचल अतिरेक चालकों को बाढ़ प्रबन्धन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के अधीन योगदान देने हेतु विरमित करेंगे ।

9 . मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना एवं मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के परिक्षेत्राधीन हो रहे अतिरेक आशु टंकक का पदस्थापन मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के अधीन कार्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध किया जायेगा । इस हेतु संबंधित कार्यालय अतिरेक आशु टंकक को मुख्य अभियन्ता योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित करेंगे ।

10 . राजस्व प्रशासन निदेशालय के विघटन से संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 15/रा०-3-101/2002-436 दिनांक 17.05.2005 में निहित शर्त्तों के आलोक में कतिपय मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्राधीन विभिन्न कार्यालयों में राजस्व कर्मी कार्यरत हैं । विभागीय अधिसूचना 1195 दिनांक 24.05.2016 के परिशिष्ट-1 के प्रत्येक क्रमांक के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालयों में पूर्व से कार्यरत ऐसे कर्मी उसी क्रमांक के स्तम्भ 2 में अंकित कार्यालयों में कार्यरत माने जायेंगे एवं तदनुसार संबंधित कार्यालयों से इन कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा । वर्त्तमान में सोन नहर प्रमण्डल, खगौल में पदस्थापित विघटित राजस्व निदेशालय से संबंधित जो कर्मी सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को विभागीय संकल्प संख्या 436 दिनांक 17.05.2005 में निहित शर्त्तों के तहत सिंचाई, योजना मोनिटरिंग अंचल, पटना में पदस्थापित किया जायेगा । इस हेतु कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल उन्हें सिंचाई, योजना मोनिटरिंग अंचल, पटना में योगदान देने हेतु विरमित करेंगे ।

11 . कार्यभारित स्थापना से नियमित होने वाले कर्मी, जिनके पद उनकी सेवानिवृति के साथ ही समाप्त हो जाने हैं, वे विभागीय अधिसूचना 1195 दिनांक 24.05.2016 के परिशिष्ट-1 के प्रत्येक क्रमांक के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालयों में उसी क्रमांक के स्तम्भ 2 में अंकित कार्यालयों में कार्यरत माने जायेंगे एवं तदनुसार संबंधित कार्यालयों से इन कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा ।

12 . पुनर्गठन के क्रम में निर्गत विभिन्न विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं अधिसूचना संख्या 1195 दिनांक 24.05.2016 के द्वारा कतिपय नये कार्यालयों का गठन किया गया है। इन कार्यालयों के संचालन हेतु भवन इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था संबंधित मुख्य अभियन्ता करेंगे । सरकारी भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में किराये के मकान में कार्यालय संचालित करने की व्यवस्था की जायेगी । इन कार्यालयों की साज-सज्जा हेतु मुख्यालय स्थित संबंधित योजना एवं मोनिटरिंग अंचलों द्वारा आवश्यक राशि उपलब्ध करायी जायेगी । इन कार्यालयों के कार्यालय प्रधान स्थापना मद हेतु आवश्यक राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में बजट तैयार कर संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण) को उपलब्ध करायेंगे, तदनुसार स्थापना मद का आवंटन निर्गत किया जायेगा ।

13 . यह आदेश दिनांक 01.06.2016 से प्रभावी होगा ।

Sanjay 31/05/16

(संजय कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक - 5/डी०-4-10-01/2016- 1226 पटना, दिनांक- 31-05-2016

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, के आप्त सचिव, बिहार, पटना /प्रधान सचिव के आप्त सचिव /सभी अभियन्ता प्रमुख /सभी मुख्य अभियन्ता /सभी संयुक्त सचिव /सभी उप सचिव /सभी अवर सचिव, (प्रबंधन कोषांग सहित) /सभी अधीक्षण अभियन्ता /सभी निदेशक /सभी संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक /सभी कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रभारी एम०आई०एस० सेल को डाटा संधारण हेतु एवं प्रभारी कम्प्यूटर सेल को बेब साईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

Sanjay 31/05/16

(संजय कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)